



## इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या - 930 वर्ष 2026

सुनील कुमार सिंह

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....विपक्षी पक्ष

---

|                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| आवेदक(गण) के अधिवक्ता       | : | आदर्श मिश्रा, अमरजीत यादव |
| विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता | : | शासकीय अधिवक्ता           |

---

### न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह और राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

यह वर्तमान ज़मानत अर्जी आवेदक की ओर से इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि उसे विचारण की लंबित अवधि के दौरान, थाना कोतवाली, ज़िला आजमगढ़ में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 601/2025, अंतर्गत धारा 2(b)(i) और 3(1) 'उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986' में ज़मानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण इस मामले में झूठा फँसाया गया है। गैंग-चार्ट में उल्लिखित आपराधिक इतिहास के संबंध में, ज़मानत अर्जी के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र में स्पष्टीकरण दिया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि गैंग-चार्ट में उल्लिखित सभी मामलों में आवेदक को पहले ही ज़मानत पर रिहा किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, सरगना अथवा आयोजक नहीं है, और न ही उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (b) में वर्णित किसी गिरोह की गतिविधियों में कोई दुष्प्रेरण अथवा सहायता की है। उपर्युक्त मामले के अतिरिक्त आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से फ़रार होने अथवा गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोई

*अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*

संभावना नहीं है। आवेदक, जो दिनांक 15.11.2025 से जेल में निरुद्ध है, यह वचन देता है कि यदि उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इस स्वतंत्रता का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में भारी लंबित मामलों के होने के कारण, मुकदमे के शीघ्र निपटारे की कोई संभावना नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2020 (11) एससीसी 648** मामले में दिए गए एक फैसले पर भरोसा जताया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि किसी आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित होना, अपने आप में, जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. . आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध नहीं कर सके, और न ही वे आवेदक के खिलाफ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता वकील द्वारा तैयार किए गए 'गैंग-चार्ट' में दिखाए गए मामले के अलावा कोई अन्य मामला इंगित कर सके।

तथ्यों की समग्रता, मामले की प्रकृति और रिकॉर्ड से सामने आए साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को भी ध्यान में रखते हुए—और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना—मैं इसे जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला मानता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

आवेदक, **सुनील कुमार सिंह** को, उपर्युक्त मामले (केस क्राइम नंबर) में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक व्यक्तिगत मुचलका और उतनी ही राशि के दो विश्वसनीय जमानतदार पेश करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए-

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने बताने से रोका जा सके, या वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।

(iii) आवेदक, विचारण न्यायालय के समक्ष, निम्नलिखित तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा: (i) मामले की शुरुआत), (ii) आरोप तय किए जाने और (iii) बयान दर्ज किए जाने () के लिए निर्धारित तारीखें।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तारीखों पर, जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, किसी भी प्रकार की स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(v) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष, निर्धारित प्रत्येक तारीख पर, या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, उसे जमानत रद्द करने का आधार माना जाएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत याचिका के निपटारे के उद्देश्य तक ही सीमित है, और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर की गई कोई टिप्पणी नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय, इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

16 जनवरी, 2026

(न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव)